

सम्पादकीय

दलों के दलदल से निकलने की संभावना

छिपी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। दिल्ली इस देश का हृदय प्रदेश है। वहां इस ढंग की स्थिति का निर्मित होना चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस देश के सारे राजनीतिक दल जब वोट मांगने निकलते हैं तब देश और उसकी जनता की भलाई को सामने रखते हैं, परंतु वोट प्राप्त होते ही वे अपने-अपने दल के हो जाते हैं। हम एक ओर तो कहते हैं कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देश की भलाई के लिए विचार करना चाहिए, परंतु जब मौका आता है तो सारे के सारे पार्टी हित में लामबंद हो जाते हैं। दिल्ली के चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा यह कहा जाना कि जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, उनके मत की तौहीन है। मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा जताकर देशहित में मतदान किया, अब उसे फिर कटघरे में खड़ा करना कहां का न्याय है। आज यह स्थिति दिल्ली में निर्मित हुई है, कल को और कहीं पर भी यह स्थिति आ सकती है। अभी तक लोकतंत्र में यह फार्मूला काम करता रहा है कि इक्यावन बराबर सौ और उनचास बराबर शून्य।

पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वह वैकल्पिक राजनीति के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई थी। अब इस यथास्थिति से निकालने की जिम्मेदारी भी उसी दल की है। वह

समझदारों और बुद्धिजीवियों का राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ओर जहां परंपरागत सोच रखते हैं, वही आम आदमी पार्टी अपने आपको नयी विचारधारा का वाहक बताती है। अब जबकि उसे अपने विचारों को धरातल पर उतारने का जनादेश मिला है, तब वह अपनी ओर से कोई सुझाव न देकर पुनः विधानसभा चुनाव में जाने का मन बना रही है। यह कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी परिपक्वता नहीं दिखा रही है। देश के तमाम सारे बुद्धिजीवियों, संविधान विशेषज्ञों, मीडिया घरानों का दिमाग इस निर्णय पर चकरा गया है। ऐसा तो है नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अभी तक बाहर से समर्थन की राजनीति चलती रही है। इससे देश का भला और बुरा दोनों हुआ है। अब इससे आगे विचार करने की जरूरत है।

दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए इस निर्णय से एक नयी राजनीति का इशारा मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। यद्यपि उम्मीदवारों ने अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़े थे, परंतु अब जबकि विजयी उम्मीदवार विधानसभा में पहुंच गए हैं तब वे उम्मीदवार किसी एक राजनीतिक दल के नहीं रह गए हैं। वे सारे दिल्लीवासियों के हो गए हैं। जब वे विधानसभा में प्रवेश करेंगे तब उन्हें अपने-अपने राजनीतिक दलों को भूलना होगा और सिर्फ दिल्ली और उसकी जनता को ध्यान में



रखना होगा। ये सत्तर उम्मीदवार विधानसभा के भीतर मतदान द्वारा अथवा सर्वसम्मति से अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। वह मुख्यमंत्री कौन-से राजनीतिक दल का होगा, यह मायने नहीं रखेगा, बल्कि जिसकी नीयत और नीतियां स्पष्ट होंगी, सदन उसे अपना नेता चुनेगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल का चुनाव भी सभी चुने गए विधायकों से होगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी पार्टी के लिए नहीं वरन् दिल्लीवासियों के प्रति वफादार होगा और सारे अच्छे-गलत निर्णयों की जवाबदारी चुने गए नेताओं की होगी। इससे प्रत्येक चुने गए विधायक की योग्यता का लाभ जनता को मिल सकेगा। यदि सदन को यह महसूस होता है कि मुख्यमंत्री अथवा मंत्री कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो पूरी जनता में राइट टू रिजेक्ट अथवा रिकॉल को लागू करने के बदले सदन में ही इसे लागू किया जाए। जो व्यवस्था अभी पंचायतों में लागू है उसे विधानसभा के भीतर क्यों नहीं लागू किया जा सकता ?

अभी तक ऐसा भी देखने में आया है कि अयोग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद मिलता रहा है और योग्य व्यक्ति का लाभ देश अथवा प्रदेश को नहीं मिला है। जब सारे ही जनप्रतिनिधि देश के प्रति सच्चे होने का दावा करते हैं और जनता को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने को तत्पर हैं तो अब वह घड़ी आ गई है, जिस पर उन्हें कसौटी पर कसा जा रहा है।

चुने गए विधायकों को अपनी-अपनी पार्टी के अहंकार को कम करते हुए जनता के आदेश का सम्मान करना चाहिए। दलीय राजनीति से ऊपर उठने का यह सबसे अच्छा मौका है। बहुमत और अल्पमत की राजनीति से आगे बढ़ने का स्वर्णिम

अवसर उपलब्ध है। यदि सारे सत्तर विधायक अपनी पार्टियों को भूलकर सदन के भीतर अपने नेता का चुनाव कर लेते हैं तो न सिर्फ दिल्ली विधानसभा अनिश्चितता के भंवर से निकलेगी, बल्कि देश को भी दलों के दलदल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। यदि यह फार्मूला विधानसभा में मान्य हो जाता है तो दिल्लीवासी और देशवासियों के विश्वास का सम्मान होगा। अभी जो राजनीतिक दल अपने-अपने गर्व में ँंठे हुए हैं और एक और चुनाव की तैयारी के मंसूबे बांध लिए हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब मतदान मशीन में इनमें से कोई उपयुक्त नहीं का बटन भी मौजूद है। कहीं जनता पर अतिविश्वास का नतीजा नोटा के रूप में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही प्रश्नचिह्न न लगा दे।

- डॉ. पुष्पेंद्र दुबे